PWD2-CW/R/94/2023-III-2-Public Works Department

170519/2023

ई० फाईल संख्या-64221

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर,2023

विषयः वित्तीय वर्ष **2023-24** में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के विभिन्न प्रथम चरण के **10** निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अन्तर्गत मार्गो की कुल लम्बाई 32.60 किमी0 व लागत ₹ 516.08 लाख है, के शासन सतर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 53.56 लाख (₹ तेरपन लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 10 कार्यो हेतु कुल ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	शासन द्वारा अनु0 लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत बरकिडा मानिला डोटियाल मोटर मार्ग के कि.मी. 11.00 से अम्बेडकर ग्राम दुगोलीबाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	10.50	**0.10**
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत हिनौला झिमार से पूनाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	4.50	**0.10**
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में चांच से कफल्टा मार्ग के शेष भाग का एल0वी0आर0 से	1.00	**0.60**	**0.10**

/2023

	मोटर मार्ग में परिवर्तन कार्य। (प्रथम चरण)			
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के ग्राम सनाणा-मलिहारी मोटर मार्ग से मरचूला-भिकियासैण तक मोटर मार्ग तक विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	4.50	0.10
5	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से ढणास तक मार्ग को एल.वी.आर से एम.आर. में परिवर्तन (प्रथम चरण)	4.00	2.40	0.10
6	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में भवाली मल्ली से रगडगाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.500	5.25	0.10
7	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में इण्टर कॉलेज बांगीधार से बांगीधार बरहलिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.250	4.88	0.10
8	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में कालीगांव से खटलगांव आसूतले तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.500	9.75	0.10
9	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में हिनोला काने खलपाटी से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.850	10.28	0.10
10	राज्य योजना के अन् तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मुख्य मोटर मार्ग जैनल देघाट मोटर से ग्राम मुसोली पत्रालय नौला एल0वी0आर0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य। (प्रथम चरण)	1.50	0.90	0.10
	योग	32.60	53.56	1.00

(रू0 एक लाख मात्र)

2- उपरोकृत सुवीकृतियां निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी:-

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिर्पोट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190

/2023

(PWD)01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैंयार करते समय किया जायेगा।

v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एनपी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय **31.03.2024** तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xii. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-I/170292/2023, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 22-11-2023 13:21:10

(श्याम सिंह)

/2023

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) , उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. अल्मोडा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लो. नि. वि., रानीखेत।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/170519/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23110220028
आवंटन पत्र दिनांक-29-NOV-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	7880000	100000	0	7980000
योग	7880000	100000	0	7980000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1412 /20 याता0'क'नियो0–1/2023

दिनांक–04 .12.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
04/12/23